

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019

(सभा द्वारा यथापारित)

“झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995” में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो

अध्याय -1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ—
- (1) यह अधिनियम झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
- (2) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-2

“झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995” में संशोधन—

2. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की प्रस्तावना में वर्णित “राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम” वाक्यांश को “राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम” वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 के धारा-2 के उपधारा-(ख) में वर्णित, “बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट विभाग” को “झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली के द्वारा निर्दिष्ट विभाग” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 के धारा-2 के उपधारा-(ग) में वर्णित, “व्यावसायिक पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है, अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मसी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम तथा इसमें शामिल है समान प्रकृति का कोई अन्य पाठ्यक्रम” वाक्यांश को “व्यावसायिक पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है, अभियंत्रण, बहुप्रावैधिकी, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मसी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी, B.Ed. में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम तथा इसमें शामिल है संबंधित प्राधिकार द्वारा अनुशासित समान प्रकृति का कोई अन्य पाठ्यक्रम” वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-2 की उपधारा-(घ) में वर्णित, "विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा संचालित तथा सम्पोषित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान, वाक्यांश को "विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार/निजी क्षेत्र/सार्वजनिक निजी भागीदारी Public Private Partnership (PPP) द्वारा संचालित तथा संपोषित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-2 की उपधारा-(ड) एवं उपधारा-(च), धारा-4 एवं धारा-13 की उपधारा-(1) एवं उपधारा-(5) में वर्णित "बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्" वाक्यांश को "झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
7. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-3 की उपधारा-(1) में वर्णित, "किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री आदेश अथवा किसी अधिनियम, नियम या परिपत्र में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मैसी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा-विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों तथा समान प्रकृति के अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जायेगा" वाक्यांश को "किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री आदेश अथवा किसी अधिनियम, नियम या परिपत्र में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अभियंत्रण, बहुप्रावैधिकी, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मैसी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा-विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी, B.Ed. के डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम तथा इसमें शामिल समान प्रकृति का कोई अन्य पाठ्यक्रम जो संबंधित प्राधिकार द्वारा अनुशासित हो, के प्रथम वर्ष/पार्श्वीय प्रवेश (Lateral Entry) से द्वितीय वर्ष में प्रवेश, झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा/अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य परीक्षा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णयित, के आधार पर किया जायेगा" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
8. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 के धारा-5 में वर्णित, "संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का गठन- संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का गठन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगा:-
- | | |
|--|-----------|
| सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार | - अध्यक्ष |
| (i) | |
| (ii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित आयुक्त एवं सचिव/सचिव स्तर के अधिकतम दो पदाधिकारी | - सदस्य |

- (iii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित अधिकतम दो राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष - सदस्य
- (iv) चिकित्सा महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य - सदस्य
- (v) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य - सदस्य
- (vi) कृषि, मत्स्य, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, कृषि अभियंत्रण एवं वानिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा संजय गांधी गव्य प्राद्योगिकी संस्थान के निदेशक में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य/निदेशक - सदस्य
- (vii) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग - सदस्य
सचिव

वाक्यांश एवं अंक को निम्न वाक्यांश एवं अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा वर्षद का गठन—संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा वर्षद का

गठन राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगा:—

- (i) सदस्य, राजस्व वर्षद, झारखण्ड - अध्यक्ष
- (ii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग तथा उद्योग विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्तर के अधिकतम दो पदाधिकारी - सदस्य
- (iii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग तथा उद्योग विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित अधिकतम दो राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष - सदस्य
- (iv) चिकित्सा महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य/निदेशक - सदस्य
- (v) विश्वविद्यालय/राजकीय अभियंत्रण/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य/निदेशक - सदस्य
- (vi) कृषि, मत्स्य, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, कृषि अभियंत्रण एवं वानिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यों/निदेशक में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य/निदेशक - सदस्य
- (vii) निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग - सदस्य
सचिव

9. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-6 की उपधारा-(i) में वर्णित, "बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन करना" वाक्यांश को "झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन करना" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-6 में एक नई उपधारा-(x) को निम्नवत् समाहित किया जाएगा।

(x) "नामांकन प्रक्रिया के लिए नीति एवं रीति का निर्धारण"

11. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-8 की उपधारा-(क) में वर्णित, "प्रश्न पत्रों का चयन एवं प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण" वाक्यांश को "प्रश्न पत्रों का चयन एवं प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं एवं ओएमआर Sheets (Optical Mark Recognition) का मुद्रण" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-8 की उपधारा-(घ) में वर्णित, "प्रश्न पत्रों/उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केन्द्रों पर भेजना एवं वापस लाना, कूटबद्ध (कोडिंग) करना एवं कूट खोलना (डिकोडिंग)" वाक्यांश को "प्रश्न पत्रों/उत्तर पुस्तिकाओं/ओएमआर Sheets (Optical Mark Recognition) को परीक्षा केन्द्रों पर भेजना एवं वापस लाना, कूटबद्ध (कोडिंग) करना एवं कूट खोलना (डिकोडिंग)" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

13. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 के धारा-8 के उपधारा-(ङ) में वर्णित, "उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन" वाक्यांश को "उत्तर पुस्तिकाओं/ओएमआर Sheets (Optical Mark Recognition) का मुल्यांकन" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-8 की उपधारा-(ज) में वर्णित, "उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना" वाक्यांश को "उत्तर पुस्तिकाओं/ओएमआर Sheets (Optical Mark Recognition) Digital Data को सुरक्षित रखना" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

15. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 के धारा-9 में वर्णित, "संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा" वाक्यांश को "झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा/अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य परीक्षा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णयित" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-14 की उपधारा-(1) एवं उपधारा-(3) में वर्णित, "महालेखाकार, बिहार" वाक्यांश को "महालेखाकार, झारखण्ड" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-16 में वर्णित, "उत्तर पुस्तिकाओं का सुरक्षित रखा जाना- संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी" वाक्यांश को "उत्तर पुस्तिकाओं/ ओ0एम0आर0 Sheet/Digital Data का सुरक्षित रखा जाना- "झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा/अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य परीक्षा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णयित से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं/ ओ0एम0आर0 Sheet का परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक एवं Digital Data को पांच वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

यह विधेयक झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक 24 जुलाई, 2019 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 जुलाई, 2019 को सभा द्वारा पारित हुआ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष